

460/15-

06/01/22 पञ्चावली पेश हुई। उभय पक्ष मय 25
P/O विद्वान अश्विवक्ता उपस्थित। 02

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 2: वाद बिन्दु 22

सं. 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि "क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?" उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादपत्र में वर्णित अश्विवचनो पर आधारित है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। सुना। पञ्चावली का अवलोकन

किया। प्रतिवाद पत्र की धारा 6 में कथन किया गया है कि वाद का मूल्यांकन कम है। प्रतिवादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा वार्षिक लगानी के अनुसार वाद का मूल्यांकन किया गया है, जो सही है। वाद बिन्दु सं. 2 वादी के पक्ष में निर्णीत किये जाने योग्य है।

अदिश

वाद बिन्दु सं. 2 वादी के पक्ष में निर्णीत
could.

8

किया जाता है पत्रावली लंच बाद वास्ते निस्तारण
वाद बिन्दु सं 3 पेश हो।

06/01/2022.
CCV (Jd) South.

पत्रावली लंच बाद पेश दुरी पुकार पर
उभयपक्ष उपस्थित।

निस्तारण वाद बिन्दु सं 3

वाद बिन्दु
सं 3 इस आशय का विरचित किया गया है
कि " क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त
है ? " उक्त वाद बिन्दु प्रतिवाद पत्र में वर्णित
अभिवचनों पर आधारित है, जिसे साबित करने
का भार प्रतिवादी पर है।

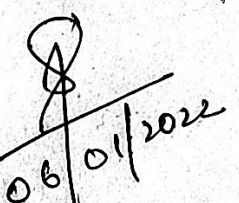
सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवाद पत्र की धारा 6 में कथन किया
गया है कि वादी द्वारा कम न्यायशुल्क अदा
किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के
समर्थन में कोई आशय प्रस्तुत नहीं किया गया है
वाद बिन्दु सं 2 वादी के पत्र में निर्णीत
किया जा चुका है, वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क,
could.

न्यायशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त
है। वाद बिन्दु सं. 3 वादी के पक्ष में निर्णीत
किये जाने योग्य हैं।

आदेश

वाद बिन्दु सं. 3 वादी के पक्ष में निर्णीत
किया जाता है। पत्रावली दिनांक 25/02/22 को
वास्तव निस्तारण वाद बिन्दु सं. 4 पेश हो।


06/01/2022
ce (M) South
JO Code 2450